प्रेस नोट
***जनपद – संतकबीरनगर ***
दिनाँक 15.02.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।*

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6006 द्वारा बाइक द्वारा पेड़ से टकरा जाने कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6006 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बनकटिया मोड़ से कालर द्वारा बाइक पेड़ से टकरा जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (01.हर्षित श्रीवास्तव पुत्र जीवनलाल श्रीवास्तव निवासी पचपोखरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- मु0का0 दिलिप यादव, म0मु0का0 नीलम सिंह, म0मु0का0 पुष्पा शर्मा, हो0चा0 प्रमोद पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 136 वाहनों से 1,26,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 15.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 136 वाहनों से 1,26,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभय नाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री दिलीप सिंह* की गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 78/2025 धारा 76 ,65(2),351(3) बीएनएस व 5m/6, 9/10 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता रामकलेश पुत्र स्व0 रामतीरथ निवासी कटया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 13.02.2026 को थाना धनघटा पर वादी की नाबालिग पौत्री के साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए, त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 15.02.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री सतीश कुमार मिश्रा, का0 महेन्द्र निषाद, का0 विनीत कुमार वर्मा।